न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 118/2024

अपीलाण्ट

1. कुकीदेवी पत्नी गुलाबराम
2. धापूदेवी पत्नी घीसाराम
3. लक्ष्मी पत्नी इन्द्राराम चौहान
4. लक्ष्मीदेवी पत्नी ढल्लाराम चौहान
5. लेहरादेवी उर्फ लेरादेवी पत्नी घमण्डाराम
6. सोमुदेवी पत्नी धन्नाराम

(सभी जाति मेघवाल, निवासीगण ग्राम पाल, तह0 व जिला जोधपुर)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मैनादेवी पुत्री शिवनाथ उर्फ नाथूराम पत्नी रामचन्द्र मेघवाल, निवासी रामदेव नगर, डालीबाई मंदिर के सामने, नंदनवन, तह0 व जिला जोधपुर
2. तीजादेवी पुत्री शिवनाथ उर्फ नाथूराम पत्नी मोहनराम मेघवाल निवासी ग्राम कटारडा, तह0 व जिला जोधपुर
3. वरजूदेवी पत्नी स्व0 शिवनाथ उर्फ नाथूराम मेघवाल, निवासी ग्राम झंवर, तहसील झंवर, जिला जोधपुर
4. भगवती पत्नी जगदीश पुत्री ढल्लीदेवी मेघवाल, निवासी ग्राम चौपासनी गांव, तह0 व जिला जोधपुर
5. बालाराम पुत्र जगदीश मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर
6. राकेश पुत्र जगदीश मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, ग्राम पाल तह0 व जिला जोधपुर
7. पिन्टु पुत्र जगदीश मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, ग्राम पाल तह0 व जिला जोधपुर
8. अंजली पुत्री स्व0 रूपाराम, माता ककूदेवी उर्फ दुर्गादेवी मेघवाल, निवासी रामदेव नगर, डालीबाई मंदिर के सामने, चौपासनी नंदनवन तह0 व जिला जोधपुर
9. सुनिता पुत्री स्व0 रूपाराम, माता ककूदेवी उर्फ दुर्गादेवी मेघवाल, निवासी ग्राम झंवर, तहसील झंवर जिला जोधपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर, जिला जोधपुर
11. सरपंच गा.पं. झंवर, जिला जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

12. दिलीप पुत्र खेमाराम सरगरा निवासी ग्राम नांदडी, तह0 व जिला जोधपुर
13. राजूराम पुत्र लुम्बाराम सरगरा निवासी सरगरों का बास, ग्राम बुचकलां, तहसील पीपाड शहर, जिला जोधपुर
14. बबलू पुत्र छोटूराम सरगरा निवासी सरगरों का बास, ग्राम बुचकलां, तह0 पीपाड शहर, जिला जोधपुर
15. बंसती पत्नी खेमाराम सरगरा निवासी सरगरों का बास, ग्राम बुचकलां, तह0 पीपाड शहर, जिला जोधपुर
16. रामनिवास पुत्र खेमाराम सरगरा निवासी सरगरों का बास, ग्राम बुचकलां, तह0 पीपाड शहर, जिला जोधपुर
17. महिपाल पुत्र खेमाराम सरगरा निवासी सरगरों का बास, ग्राम बुचकलां, तह0 पीपाड शहर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) दिनांक 01.05.2024 राजस्व अपील संख्या 19/2023 अनवान मैनादेवी व अन्य बनाम वरजूदेवी वगैरा

उपस्थित–
1. श्री ओ0पी0 मेहता, नथाराम चौधरी, अनिल राठी वकील अपीलांट्स
2. श्री मोतीसिंह, वकील रेस्पो0 सं0 1 से 9 एवं 12 से 17
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 10, 11 की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा राजस्व अपील संख्या 19/2023 अनवान मैनादेवी व अन्य बनाम वरजुदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील एवं ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 90 रकबा 28.13 बीघा एवं खसरा नं0 192 रकबा 38.04 बीघा भूमि गोकलराम व शिवनाथ पुत्र जोगाराम की खातेदारी में दर्ज थी। जो सरपंच ग्रा0पं0 झंवर द्वारा सह–खातेदार शिवनाथ के फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 840 दिनांक 15.12.1985 द्वारा गोकलराम पुत्र जोगाराम एवं वरजुदेवी बेवा शिवनाथ के नाम दर्ज की गई।

उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1 व 2–अपीलांट–मैनादेवी एवं तीजा देवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष **खसरा नम्बर 192 रकबा 38.04 बीघा, जिसका वर्तमान ख0नं0 2045/192 रकबा 6.1836 हैक्टर भूमि का ही विवाद होने को लेकर, प्रस्तुत अपील में** अपने पिता–शिवनाथ सिंह के देहान्त के बाद उनके विधिक वारिसान के रूप में वरजुदेवी के साथ उनकी 4 पुत्रियों का भी हक–हिस्सा 1/5–1/5 वां निहित करने का आग्रह किया गया। जिसमें पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 840 दिनांक 15.12.1985 को निरस्त करते हुए, प्रकरण तहसील झंवर को स्व0 शिवनाथ उर्फ नाथुराम के विधिक वारिसानों के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–रेस्पो0सं0 8 से 13–कुकी वगैरा ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसील एवं ग्राम झंवर स्थित ख0नं0 192 वर्तमान ख0नं0 2045/192 की भूमि 38.04 बीघा (6.1836 है0) पूर्व में शिवनाथ उर्फ नाथूराम पुत्र जोगाराम की पैतृक कृषि भूमि थी। जो खातेदार शिवनाथ का देहान्त हो जाने पर ना0क0सं0 840 दिनांक 15.12.1985 द्वारा उनके कोई पुत्र–संतान नही होने एवं वर्ष 1985 में संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पतियों में (Coparcenary Property) में पुत्रियों का कानूनन हित निहित नही होने के कारण एवं शिवनाथ के देहांत से पूर्व उनके जीवनकाल में ही उनकी चारों पुत्रियों–मैनादेवी, तीजादेवी, ढल्लीदेवी व ककूदेवी की शादियां हो जाने के

कारण, उक्त चारों पुत्रियां स्व0 शिवनाथ के संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नही रहने के कारण उनकी पत्नी वरजूदेवी के हक में सरपंच ग्रा0पं0 झंवर द्वारा स्वीकृत करते हुए ख0नं0 192 (2045/192) की कुल रकबा भूमि 38.04 बीघा राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार, काश्तकार दर्ज की गई। तत्पश्चात रेस्पो0सं0 3–वरजूदेवी पत्नी स्व0 शिवनाथ ने अपनी पुत्रियों–रेस्पो0सं0 1 मैनादेवी व 2–तीजादेवी एवं अन्य पुत्रियां–ढल्लीदेवी व ककूदेवी की सहमति से एवं इन पांचों द्वारा उक्त भूमि का बेचान यानि अंतरण धारा 41 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार सप्रतिफल दिनांक 06.06.1998 को जरिये पंजीबद्ध विलेख द्वारा ढल्लाराम पुत्र घमण्डाराम व नरसिंहराम पुत्र बींजाराम को करते हुए कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। जो उप–पंजीयक झंवर (जोधपुर) के कार्यालय में दिनांक 23.03.2004 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 09, पृष्ठ संख्या 190, कम संख्या 171 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त विकय विलेख पर रेस्पा0सं0 1–मैनादेवी, 2–तीजादेवी एवं रेस्पो0सं0 4 से 9 की माता ढल्लीदेवी व ककूदेवी की सहमति के रूप में अंगूष्ठ निशान किये गये है तथा उक्त पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर खरीददार ढल्लाराम व नरसिंगराम के पक्ष में ना0क0सं0 1524 दिनांक 23.07.2004 स्वीकृत कर, ख0नं0 192 की कुल रकबा भूमि खरीददार के नाम दर्ज कर दी गई। जिसका आगे पंजीबद्ध बेचान दिनांक 09.05.2005 को अपीलांट सं0 5–लहरा देवी उर्फ लहरीदेवी पत्नी घमण्डाराम को हुआ व वादग्रस्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। जिसका दस्तावेज पंजीयन दिनांक 10.05.2005 को हुआ तथा उक्त विकय विलेख के आधार पर खरीददार के पक्ष में ग्रा0पं0 झंवर द्वारा ना0क0सं0 1610 दिनांक 20.05.2005 स्वीकृत किया गया।

लहरादेवी द्वारा अपनी उक्त खरीदशुदा ख0नं0 192 की कुल रकबा 38.04 बीघा भूमि से अपीलांट सं0 1–ककूदेवी को 06.01 बीघा, अपीलांट सं0 2–धापूदेवी को 07.10 बीघा, अपीलांट सं0 3–लक्ष्मी को 07.10 बीघा, अपीलांट सं0 4–लक्ष्मीदेवी को 08.10 बीघा तथा अपीलांट सं0 6–सोमूदेवी को 07.10 बीघा बख्शीश मे देते हुए बख्शीशनामें दिनांक 13.06.2022 को निष्पादित कर पंजीयन करवाये गये। इन पंजीबद्ध बख्शीशनामों के आधार पर ना0क0सं0 3051 दिनांक 22.07.2022 को

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट सं0 1 से 4 एवं 6 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। तब से खसरा नं0 192 वर्तमान खसरा नम्बर 2045/192 कुल भूमि 38.04 बीघा (6.1836 है0) अपीलांट्स के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज होकर, चली आ रही है। अपीलांट द्वारा उक्त वादग्रस्त खसरे की भूमि को बैंक ऑफ बडौदा, शाखा ग्राम डोली में रहन रखते हुए ऋण प्राप्त किया एवं राजस्व रेकर्ड में ना0क0सं0 3088 दिनांक 27.12.2022 एवं ना0क0सं0 3136 दिनांक 27.04.2023 स्वीकृत कर भूमि बैक के नाम दर्ज की गई।

रेस्पो0सं0 1 व 2–अपीलांट (मैनादेवी व तीजादेवी) को इन सारे तथ्यों की जानकारी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 3 से 11 के विरूद्ध राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत मृतक खातेदार शिवनाथ उर्फ नाथूराम पुत्र जोगाराम के फौतेदगी ना0क0सं0 840 दिनांक 15.12.1985 को निरस्त करने हेतु राजस्व प्रथम अपील दिनांक 04.11.2023 को 38 वर्ष बाद, मय अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.02.2024 को धारा 05 के प्रार्थना पत्र का जवाब तथा दिनांक 22.04.2024 को समस्त सही तथ्यों का समावेश कर लिखित बहस मय साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत की गई एवं न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किए गये। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो एवं तथ्यों के विपरित होने से अपास्त योग्य है।

अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित है कि रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 05 का जवाब नही दिया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.02.24 में स्पष्ट रूप से रेस्पो0सं0 8 से 13 (अपीलांट) की ओर से जवाब एवं फार्म न0 3 के साथ दस्तोवज प्रस्तुत करना अंकित है। इसी प्रकार अपीलाधीन आदेश में लिखित एवं मौखिक बहस अथवा न्यायिक दृष्टांतो का कोई उल्लेख/विवेचन नही है। रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर एवं गलत तथ्यों पर आधारित अपील प्रस्तुत की गई थी, जो प्रथम दृष्टया मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। द्वितीय राजस्व अभिलेखों में पंजीबद्ध

विक्रय विलेख एवं बख्शीशनामों के आधार पर स्वीकृत ना0क0 को स्वयं रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील में स्वीकार किया गया है, इन पंजीबद्ध दस्तावेजो के प्रभाव में रहते स्वीकृत नामान्तरकरणों को निरस्त करना विधिसम्मत नही है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 को अपास्त करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील संख्या 19/2023 को सव्यय विशेष हर्जे सहित खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसील एवं ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 90 रकबा 28.13 बीघा एवं खसरा नं0 192 रकबा 38.04 बीघा भूमि रेस्पो0सं0 1 से 3 के पिता एवं पति शिवनाथ पुत्र जोगाराम की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जो सरपंच ग्रा0पं0 झंवर द्वारा सह–खातेदार शिवनाथ के फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 840 दिनांक 15.12.1985 द्वारा गोकल राम पुत्र जोगाराम एवं वरजुदेवी बेवा शिवनाथ के नाम दर्ज की गई।

उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध रेस्पो0सं0 1 व 2–अपीलांट–मैनादेवी एवं तीजा देवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष **खसरा नम्बर 192 रकबा 38.04 बीघा, जिसका वर्तमान ख0नं0 2045/192 रकबा 6.1836 हैक्टर भूमि का ही विवाद होने को लेकर** राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें अपने पिता–शिवनाथ सिंह के देहान्त के बाद उनके विधिक वारिसान के रूप में वरजुदेवी के साथ उनकी 4 पुत्रियों का भी हक–हिस्सा 1/5–1/5 वां निहित करने का आग्रह किया गया।

शिवनाथ का देहांत होने के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी पत्नी वरजुदेवी एवं 4 पुत्रियां हुए। जबकि उक्त ना0क0 में शिवनाथ की पुत्रियों का नाम दर्ज नही किया गया और न ही इसकी जांच एवं सुनवाई का उन्हें अवसर दिया गया तथा उक्त ना0क0 की पुश्त पर सजरा खानदान नही बनाया गया। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 8 के तहत पुत्रियां प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। अतः उक्त ना0क0 में वरजुदेवी बेवा शिवनाथ एवं उनकी 4 पुत्रियों का संयुक्त रूप में प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था, जो आपसी मिलावट से दर्ज नही हुआ। इसके उपरांत रेस्पो0सं0 3–अपीलांट की माता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वरजुदेवी की बुजुर्ग अवस्था में ढलाराम व नरसिंह ने मिलावट कर ख0नं0 192 की संपूर्ण भूमि का अपने पक्ष में बेचाननामा निष्पादित करवा लिया गया, जिसके अंतिम पृष्ठ पर रेस्पो0सं0 1 व 2 एवं रेस्पो0सं0 4 से 9 की माता ककुदेवी व ढलीदेवी के अंगुठे लगवा दिये, ताकि बाद में कोई उजर ऐतराज नही करे, लेकिन सम्पूर्ण भूमि के बेचान की जानकारी ना तो वरजुदेवी को थी और ना ही अपीलांट एवं उसकी बहनों को थी। अगर इसकी जानकारी होती तो वे कतई हस्ताक्षर नही करती। उक्त भूमि आगे से आगे बेचान/बख्शीशनामों के आधार पर वर्तमान में अपीलांट के नाम दर्ज हो गई है। अतः वरजुदेवी द्वारा किए गये बेचान को रेस्पो0 के हक हिस्से यानि प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तक प्रभावहीन घोषित किया जावे। क्योकिं वादग्रस्त खसरान की भूमि में वरजुदेवी को अपने 1/5 हिस्से से अधिक भूमि के बेचान का कोई विधिक अधिकार नही था। रेस्पो0 ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिलाएं होने से उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उक्त ना0क0 की जानकारी नही थी, अतः अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विलंब को क्षमा करने हेतु आग्रह किया गया।

आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 840 दिनांक 15.12.1985 को निरस्त करते हुए, प्रकरण तहसील झंवर को स्व0 शिवनाथ उर्फ नाथुराम के विधिक वारिसानों के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के उत्तरोतर बेचाननामें के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण स्वतः ही निरस्तनीय है। अतः अपील खारिज कर, अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 10 व 11 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के अनुसार तहसील एवं ग्राम झंवर के **वादग्रस्त खसरा नं0 192** रकबा 38.04 बीघा भूमि

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

शिवनाथ पुत्र जोगाराम की खातेदारी में दर्ज थी। जिसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 840 दिनांक 15.12.1985 सरपंच ग्रा0पं0 झंवर द्वारा वरजुदेवी बेवा शिवनाथ के नाम पारित किया गया।

तत्पश्चात रेस्पो0सं0 3–वरजूदेवी पत्नी स्व0 शिवनाथ ने अपनी पुत्रियों– रेस्पो0सं0 1 मैनादेवी व 2–तीजादेवी एवं अन्य पुत्रियां–ढल्लीदेवी व ककूदेवी (रेस्पो0सं0 4 से 9 की माता) की सहमति से एवं इन पांचों द्वारा उक्त भूमि का सप्रतिफल दिनांक 06.06.1998 को जरिये पंजीबद्ध विलेख द्वारा ढल्लाराम पुत्र घमण्डाराम व नरसिंहराम पुत्र बींजाराम को कर दिया, जो उप–पंजीयक झंवर (जोधपुर) के कार्यालय में दिनांक 23.03.2004 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 09, पृष्ठ संख्या 190, कम संख्या 171 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त विकय विलेख पर रेस्पा0सं0 1–मैनादेवी, 2–तीजादेवी एवं रेस्पो0सं0 4 से 9 की माता ढल्लीदेवी व ककूदेवी की सहमति के रूप में अंगूष्ठ निशान किये गये है तथा उक्त पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर खरीददार ढल्लाराम व नरसिंगराम के पक्ष में ना0क0सं0 1524 दिनांक 23.07.2004 स्वीकृत कर, ख0नं0 192 की कुल रकबा भूमि खरीददार के नाम दर्ज की गई।

जिसकी जानकारी रेस्पो0सं0 1 व 2 (मैनादेवी व तीजादेवी) को होते हुए भी उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक खातेदार शिवनाथ के फौतेदगी ना0क0सं0 840 दिनांक 15.12.1985 को निरस्त करने हेतु राजस्व प्रथम अपील दिनांक 04.11.2023 को 38 वर्ष बाद, मय अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.02.2024 को धारा 05 के प्रार्थना पत्र का जवाब तथा दिनांक 22.04.2024 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई। इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश में यह उल्लेखित है कि अपीलांट–रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 05 का जवाब नही दिया गया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.02.24 में स्पष्ट रूप से रेस्पो0सं0 8 से 13 (अपीलांट) की ओर से जवाब एवं फार्म न0 3 के साथ दस्तोवज प्रस्तुत करना अंकित है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में धारा 05 का जवाब एवं लिखित बहस मौजूद है। इसी प्रकार अपीलाधीन आदेश

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

में लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों का कोई उल्लेख/विवेचन नही है। इस प्रकार रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर एवं गलत तथ्यों पर आधारित अपील प्रस्तुत की गई थी, जो प्रथम दृष्टया मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। द्वितीय पंजीबद्ध विकय विलेख/बख्शीशनामों के प्रभाव में रहते इनके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरणों को निरस्त किया जाना विधिसम्मत नही है। इससे पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद को बढावा मिलता है। उक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश किसी भी सूरत में विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) द्वारा राजस्व अपील संख्या 19/2023 अनवान मैनादेवी व अन्य बनाम वरजुदेवी वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 अपास्त किया जाता है तथा अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण संख्या 840 दिनांक 15.12.1985, तहसील एवं ग्राम झंवर को पुनः बहाल किया जाता है।

साथ ही प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 11.12.24 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12, 13 व 14 सपठित धारा 151 सीपीसी को रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.12.24 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के मद्धेनजर निस्तारित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27।1।26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27।1।26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर